

दि  
ना

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

-प्रस्तावना का अवलोकन किया जिससे  
प्रकरण स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है  
अतः प्रार्थी वकील का  
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान  
लैंड रेंज्यू एक्ट वादत राजस्व रिकार्ड  
में दुरुस्ती का खारिज किया जाता है।  
प्रावली फलतः शुमार होकर न ~~न~~ हो  
कर दारिकत दफतर हो निर्णय सुनाया  
गया

